अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
सकारण आदेश

कार्य प्रमंडल, **छपरा–2** के अधीन शीर्ष MMGSY (SC) योजनान्तर्गत **इसुआपुर प्रखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क से पोखरा एवं सहवा होते हुए हनुमानगंज एस0एच0 तक पथ** का निर्माण कार्य संवेदक **राजीव कुमार सिंह, (निबंधन सं0–1200048), At- Dahiyawan Tola, Chapra (Saran) Bihar, Pin No-841301** को आवंटित था, जिसका एकरारनामा **संख्या–91/SBD/2020-21** है।

उक्त पथ में स्वीकृत मार्ग आरेखन से अलग आरेखन पर कार्य कराने, गुणवत्ता विहीन **GSB** एवं **WBM Gr-III** का कार्य कराने तथा इन दोनों पथ परतों में बिना सुधारात्मक कार्य कराये ही बलपूर्वक **Bituminous Work** प्रारम्भ कर देने के कारण संवेदक के एकरारनामा को विखंडित करते हुए इन्हें विभागीय कालीसूची में डालने की अनुशंसा मुख्य अभियंता–3 के पत्रांक–1244 अनु0 दिनांक–27.07.2022 द्वारा की गई है। कालीसूची में नाम दर्ज करने की अनुशंसा प्रेषण के पूर्व योजना क्रियान्वयन इकाई, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 द्वारा संवेदक को अपने पत्रांक–1249 दिनांक–07.07.2022, एवं पत्रांक–1279 अनु0 दिनांक–14.07.2022 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था। परन्तु संवेदक द्वारा कोई सुधारात्मक कार्य नहीं कराया गया तथा त्रुटिपूर्ण **GSB** एवं **WBM Gr-III** परत पर ही **Bituminous Work** प्रारम्भ कर दिया गया। अंततः कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 द्वारा अपने ज्ञापांक–1333 दिनांक–22.07.2022 द्वारा एकरारनमा विखंडित कर दिया गया। अग्रधन एवं जमानत की राशि जब्त की गयी।

सुधारात्मक कार्य के बदले संवेदक द्वारा त्रुटिपूर्ण कार्य स्वीकार करने के नियत से दिनांक–21.07.2022 को बंदूक के बल पर कार्यपालक अभियंता को उठाकर छपरा स्थित अपने आवास पर धमकाया गया तथा पूरे परिवार को हत्या की धमकी दी गयी। इस आशय की प्राथमिकी छपरा के मुफस्सिल थाना कांड सं0–545 दिनांक–22.07.2022 दर्ज की गई तथा पुलिस अनुसंधान जारी है।

क्षेत्रीय अभियंताओं से संवेदक को कालीकृत करने की प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय पत्रांक–882 दिनांक–03.08.2022 द्वारा कारण पृच्छा की गयी तथा संवेदक को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप में समर्पित करने का निदेश दिया गया। उक्त के क्रम में संवेदक द्वारा दिनांक–22.08.2022 को ई–मेल के माध्यम से अपना पक्ष उपलब्ध कराया गया। संवेदक का तर्क है कि विदित है कि क्षेत्रीय प्रयोगशाला छपरा द्वारा विषयगत कार्य के जिस–जिस चैनेज पर गुणवत्ता में कमी पाई गई है में उक्त सभी चैनेज पर पूर्व में कराये गये त्रुटिपूर्ण कार्य को सुधार कर पथ का निर्माण गुणवत्ता पूर्ण करा दूँगा। क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा मात्र कुछ चैनेज पर ही सामग्रियों की जॉच सांकेतिक रूप से की जाती है। योजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रतिवेदित है कि पथ की पूरी लम्बाई में **GSB** एवं **WBM Gr-III** का कार्य गुणवत्ता विहिन है। विदित हो कि गुणवत्ता की जॉच हेतु कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, छपरा–2 के पास सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध है।

इस प्रकार उपर्युक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि संवेदक का कृत्य **Bonafide Mistake** के श्रेणी में नहीं आता है यह उनके द्वारा जान बुझकर पुरी लम्बाई में खराब गुणवत्ता के साथ कार्य कराया गया है तथा नीचे के पथ परत की खराब गुणवत्ता को ढकने के नियत से क्षेत्रीय अभियंतओं के मना करने के बावजूद **Bituminous** का कार्य कराया गया है। विभागीय समीक्षोपरांत संवेदक के बचाव बयान को अस्वीकृत करते हुए बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली (ग्रामीण कार्य विभाग) 2007, अधिसूचना संख्या–8123 दिनांक–19.12.2007 के कंडिका 11(क), (i), (iii) एवं (vi) तथा पथ निर्माण विभाग, बिहार पटना का कार्यालय आदेश

संख्या–154 दिनांक–18.06.2015 की कंडिका–8(1)(b) (किये गये कार्य के गुणवत्ता असंतोषजनक रहने एवं कार्य एकरारनामा विखंडन किये जाने के कारण) में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में संवेदक **राजीव कुमार सिंह, (निबंधन सं०–1200048), At- Dahiyawan Tola, Chapra (Saran) Bihar, Pin No-841301** को अगले 15(पन्द्रह) वर्षो के लिए कालीकृत (Blacklist) किया गया।

उक्त आदेश के आलोक में संवेदक **राजीव कुमार सिंह, (निबंधन सं०–1200048),** द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या–CWJC No-11169/2023 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक–28.03.2024 को इस संबंध में आदेश पारित किया गया, जिसका Operative part निम्नवत् है:–

Having answered the contentions, we are still of the opinion that the blacklisting was done without a proper notice. Hence, only on that ground, we set aside annexure-10 order but in the light of the contentions of the petitioner having been rejected, we deem it to be a show-cause notice issued under Rule 11(a) (i), (iii) and (vi) The petitioner would be granted three weeks' time to file his objections and on filing the objections the petitioner would be afforded a hearing after which the authority would pass a reasoned order, in accordance with law.

With the above observation and reservation, we dispose the writ petition.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No-11169/2023 में दिनांक–28.03.2024 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्त्ता संवेदक **राजीव कुमार सिंह, (निबंधन सं०–1200048), At- Dahiyawan Tola, Chapra (Saran) Bihar, Pin No-841301 के Blacklisting से संबंधित** विभागीय सकारण आदेश सह–पठित ज्ञापांक–1327 दिनांक–31.08.2022 को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। साथ ही पारित न्यायादेश के अनुपालन में नये सिरे से कारण पृच्छा करते हुए न्यायसंगत कार्रवाई की जाएगी।

07/05/2024

(भगवत राम)
अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक:–14/अ0प्र0–02–237/23 –1848 /पटना, दिनांक:–09/5/2024

प्रतिलिपि:–अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/05/2024

अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त
–सह–विशेष सचिव

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—02—237/23 - 1848 /पटना, दिनांकः— 09/05/2024

प्रतिलिपिः—सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—02—237/23 - 1848 /पटना, दिनांकः— 09/05/2024

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव

ज्ञापांकः—14/अ0प्र0—02—237/23 - 1848 /पटना, दिनांकः— 09/05/2024

प्रतिलिपिः— संवेदक **राजीव कुमार सिंह, (निबंधन सं0—1200048), At- Dahiyawan Tola, Chapra (Saran) Bihar, Pin No-841301** को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त
—सह—विशेष सचिव